अति आवश्यक
तत्काल

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

4691

क्रमांक /प्र.अ./विधि(पीए)/लो.स्वा.यां.वि./2025 भोपाल, दिनांक 05/6/25

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   परिक्षेत्र भोपाल/(वि./यां.) भोपाल/
   इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   मंडल.....
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   खंड.....

विषयः— **शासकीय सेवकों की 30 जून को सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि की स्वीकृति संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये अंतिम निर्णय की जानकारी के साथ आगामी कार्यवाही हेतु निर्देश जारी करने विषयक।**

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र कमांक 11079/प्र.अ./विधि/लोस्वायांवि./2024 भोपाल दि0 04.12.2024

——0——

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

म.प्र.शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ 8—1/2024/नियम/चार भोपाल दिनांक 18 नवंबर 2024 में शासकीय सेवकों की 30 जून/31 दिसंबर की सेवानिवृत्ति के पश्चात आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में कंडिका 2.1, 2.2 एवं 2.3 में निम्नानुसार उल्लेख हैः—

2.1 राज्य शासन के 30 जून को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई निर्धारित होने पर पेंशन की गणना के लिये 01 जुलाई की स्थिति में तथा 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को उनकी शासकीय सेवा अवधि में नियत वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01 जनवरी निर्धारित होने से पेंशन गणना के लिये 01 जनवरी की स्थिति में एक काल्पनिक (Notional) वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाये।

2.2 शासकीय सेवकों की सेवा अवधि में नियत पात्रता दिनांक 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई (जैसी स्थिति हो) की काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति के आधार पर सिर्फ पेंशन का निर्धारण/पुनरीक्षण से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि पेंशन के

अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति लाभों यथा उपदान एवं अवकाश नगदीकरण आदि की पुनर्गणना में मान्य नहीं होगी।

2.3 काल्पनिक वेतनवृद्धि के फलस्वरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिनांक 01.05.2023 को या उसके बाद की तिथि से ही प्रभावशील होगा। दिनांक 30.04.2023 से पहले की अवधि के लिये बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा।

उक्तानुसार कंडिका 2.3 में उल्लेखानुसार शासन द्वारा सभी पूर्व के मामलों में दिनांक 30.04.2023 से पहले की अवधि के लिये बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 3933/2023 (भारत संघ एवं अन्य बनाम एस सिद्धराज) में पारित निर्णय दिनांक 20 फरवरी 2025 में अंतिम रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दिनांक 19.05.2023 के पूर्व दायर हुये रिट याचिका प्रकरणों में (जिनमें रिट याचिका में पारित निर्णय अंतिमता को प्राप्त हो चुका है तथा अपील आदि दायर नहीं की गयी है) बढ़ी हुई पेंशन का लाभ रिट याचिका दायर करने के दिनांक से तीन वर्ष पूर्व से प्राप्त हो सकेगा किन्तु दिनांक 19.05.2023 के बाद दायर होने वाले प्रकरणों में बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिनांक 01.05.2023 या उसके बाद से ही प्राप्त हो सकेगा। निर्णय की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

उपरोक्तानुसार ऐसे न्यायालयीन निर्णय जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2023 के बाद दायर होने वाले रिट याचिका प्रकरणों में बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिनांक 01.05.2023 से 7 प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिये गये हैं उनमें उपर उल्लेखित न्यायालयीन निर्णय के आधार पर ब्याज राशि के समापन हेतु तत्काल रिव्यू पिटीशन/रिट अपील आदि दायर कर निर्णयों को संशोधित करवाये जाने की आवश्यकता है।

इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी किये गये पूर्व निर्देशों के अनुक्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 19.05.2023 के पूर्व दायर हुये ऐसे रिट याचिका प्रकरणों जिनमें पारित निर्णयों में बढ़ी हुई पेंशन का लाभ 03 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु देने अथवा ब्याज सहित देने के आदेश दिये है, के विरूद्ध भी तत्काल रिव्यू पिटीशन/रिट अपील आदि दायर कर निर्णयों को याचिकाकर्ता को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ प्रथम रिट याचिका दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक सीमित करवाने हेतु संशोधित करवाये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके खंड/मंडल/परिक्षेत्र के अधीनस्थ निर्णित इस प्रकृति के प्रकरण में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार निर्णय

प्रमुख अभियंता

भोपाल, दिनांक 05/6/25

पृ0क्रमांक 4691 **/प्र.अ./विधि(पीए)/लो.स्वा.यां.वि./2025**

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर आवश्यक मार्गदर्शन हेतु प्रेषित।
2. अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जलभवन बाणगंगा भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार निर्णय

प्रमुख अभियंता

ज़ि.प्र. आवश्यक

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

MISCELLANEOUS APPLICATION DIARY NO. 2400 OF 2024
IN
CIVIL APPEAL NO. 3933 OF 2023

UNION OF INDIA & ANR. ..... APPLICANT(S)/ APPELLANT(S)

VERSUS

M. SIDDARAJ ..... NON-APPLICANT(S)/ RESPONDENT(S)

with

MISCELLANEOUS APPLICATION DIARY NO. 35783 OF 2024
IN
CIVIL APPEAL NO. 3933 OF 2023

MISCELLANEOUS APPLICATION DIARY NO. 35785 OF 2024
IN
CIVIL APPEAL NO. 3933 OF 2023

MISCELLANEOUS APPLICATION DIARY NO. 35786 OF 2024
IN
CIVIL APPEAL NO. 3933 OF 2023

CONTEMPT PETITION (CIVIL) No. /2025
(Diary No. 38437/2023)
IN
CIVIL APPEAL NO. 3933 OF 2023

CONTEMPT PETITION (CIVIL) No. /2025
(Diary No. 38438/2023)
IN
CIVIL APPEAL NO. 3933 OF 2023

CONTEMPT PETITION (CIVIL) No. /2025
(Diary No. 11336/2024)
IN
CIVIL APPEAL NO. 3933 OF 2023

Validity unknown
Digitally signed by babita pandey
Date: 2025.02.28
09:44:49 IST
Reason:

and

CONTEMPT PETITION (CIVIL) No. /2025
(Diary No. 20636/2024)
IN
CIVIL APPEAL NO. 3933 OF 2023

O R D E R

Miscellaneous Application Diary Nos. 2400/2024, 35783/2024, 35785/2024 and 35786/2024

Delay condoned.

We had passed the following interim order dated 06.09.2024, the operative portion of which reads as under:

> "(a) The judgment dated 11.04.2023 will be given effect to in case of third parties from the date of the judgment, that is, the pension by taking into account one increment will be payable on and after 01.05.2023. Enhanced pension for the period prior to 31.04.2023 will not be paid.
> (b) For persons who have filed writ petitions and succeeded, the directions given in the said judgment will operate as *res judicata*, and accordingly, an enhanced pension by taking one increment would have to be paid.
> (c) The direction in (b) will not apply, where the judgment has not attained finality, and cases where an appeal has been preferred, or if filed, is entertained by the appellate court.
> (d) In case any retired employee has filed any application for intervention/impleadment in Civil Appeal No. 3933/2023 or any other writ petition and a beneficial order has been passed, the enhanced pension by including one increment will be payable from the month in which the application for intervention/ impleadment was filed."

We are inclined to dispose of the present miscellaneous applications directing that Clauses (a), (b) and (c) of the order dated 06.09.2024 will be treated as final directions. We are, however, of the opinion that Clause (d) of the order dated 06.09.2024 requires modification which shall now read as under:

> "(d) In case any retired employee filed an application for intervention/impleadment/writ petition/original application before the Central Administrative

Tribunal/High Courts/this Court, the enhanced pension by including one increment will be payable for the period of three years prior to the month in which the application for intervention/ impleadment/ writ petition/ original application was filed."

Further, clause (d) will not apply to the retired government employee who filed a writ petition/original application or an application for intervention before the Central Administrative Tribunal/High Courts/this Court after the judgment in *"Union of India & Anr. v. M. Siddaraj"*[1], as in such cases, clause (a) will apply.

Recording the aforesaid, the miscellaneous applications are disposed of.

We, further, clarify that in case any excess payment has already been made, including arrears, such amount paid will not be recovered.

It will be open to any person aggrieved by non-compliance with the directions and the clarification of this Court, in the present order, to approach the concerned authorities in the first instance and, if required, the Administrative Tribunal or High Court, as per law.

Pending applications including all intervention/impleadment applications shall stand disposed of in terms of this order.

Contempt Petition (Civil) Diary Nos. 38437/2023, 38438/2023, 11336/2024 and 20636/2024

In view of the order passed today in the connected matters,

1 Dated 19.05.2023 in Civil Appeal No. 3933/2023, titled "Union of India & Anr. vs. M. Siddaraj" and other connected matters.

that is, M.A. Diary No. 2400 OF 2024 and other connected applications, the present contempt petitions will be treated as disposed of with liberty to the petitioners to take recourse to appropriate remedies, if required and necessary, as indicated *supra*. It goes without saying that the respondents shall examine the cases of the petitioners/ applicants in terms of the order passed today and comply with the same expeditiously.

Pending application(s), if any, shall stand disposed of.

.....CJI.
(SANJIV KHANNA)

.....J.
(SANJAY KUMAR)

NEW DELHI;
FEBRUARY 20, 2025.